"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 03] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025—पौष 27, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 5-3/2024/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 03-10-2024 से दिनांक 08-10-2024 तक कुल (06 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश तथा अवकाश पूर्व दिनांक 02-10-2024 का सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 09-10-2024 से 13-10-2024 तक के दशहरा अवकाश के लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 7-10/2023/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रोबिनसन गुड़िया, (भापुसे-2020), अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. को दिनांक 30-12-2024 से 10-01-2025 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12 जनवरी 2025 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रोबिनसन गुड़िया आगामी आदेश तक, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुड़िया को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुड़िया अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते.

5. श्री रोबिनसन गुड़िया, (भापुसे-2020), अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुशील कुमार नायक, (रापुसे), अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नारायणपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 7-01/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पटेल दिव्यांग कुमार लालजीभाई, (भापुसे-2014), पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़, छ.ग. को दिनांक 02-12-2024 से 13-12-2024 (कुल 12 दिवस) तक का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30 नवम्बर 2024 एवं दिनांक 01, 14, 15 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पटेल दिव्यांग कुमार लालजीभाई, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पटेल को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पटेल अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते.

5. श्री पटेल दिव्यांग कुमार लालजीभाई, (भापुसे-2014), पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आकाश मरकाम (रापुसे), अति. पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 01-01/2024/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा वर्ष 2022 बैच के निम्नलिखित प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों को क्षेत्रीय उप वनमण्डल में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उप वनमण्डलाधिकारी के पद पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-4 में दर्शाए गए वनमण्डलों में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री दिपेश कपिल, प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी	दुगली परिक्षेत्र वनमण्डल धमतरी	उप वनमण्डलाधिकारी, अंबिकापुर वनमण्डल, सरगुजा
2.	श्री एस. नवीन कुमार, प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी	माकड़ी परिक्षेत्र वनमण्डल कोण्डागांव	उप वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़
3.	श्री वेंकटेशा एम.जी., प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी	माचकोट परिक्षेत्र वनमण्डल बस्तर	उप वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल महासमुंद
4.	श्री अभिषेक अग्रवाल, प्रशिक्षु भा.व.से. अधिकारी	रेंगाखार परिक्षेत्र वनमण्डल कवर्धा	उप वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

उक्त प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पूर्ण होने तक, जिन उप वनमण्डलों में उप वनमण्डलाधिकारी (रा.व.से.) वर्तमान में पदस्थ हैं, उन्हें संबंधित वनमण्डल में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में पदस्थ माना जावेगा. प्रशिक्षण उपरांत संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी यथास्थिति उसी उप वनमण्डल में पदस्थ होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. आर. चन्द्रवंशी, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT

Mantralaya, Mahanadi Bhawan Nava Raipur, Atal Nagar

Nava Raipur, Atal Nagar the 17th December 2024

No. 4541/4458/XXI-B/C.G./2024.—In exercise of the powers conferred by Article 311(2) of the Consititution of India read with Sub-rule (vii) of rule 10 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, on the basis of departmental enquiry, the Government of Chhattisgarh, hereby, awards major penalty of compulsory retirement from service to Shri Onkar Prasad Gupta, Member of Higher Judicial Service, the then District & Sessions Judge, Koriya at Baikunthpur presentaly posted as Judge, Family Court Korba, with effect from the date of service of this order.

Nava Raipur, Atal Nagar the 23rd December 2024

No. 4599/XXI-B/C.G./2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with concurrence of the Hon'ble High Court

of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 1647/confdl./2024/II-15-2/2005 (Pt.IV)/II-2-16/2001 (Pt.V), Bilaspur, dated the 21st December 2024, hereby, withdraws the services of Smt. Heemanshu Jain, Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur from Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, places her under Law and Legislative Affairs Department and appoints her as I Additional Principal Judge, Family Court, Durg from the date she assumes charge of the office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट).—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 31 मार्च 2025 तक के लिए पंजीकृत करता है :—

क्र.	जिला	स्वैच्छिक संगठन/संस्था का नाम एवं पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	बाल देखरेख संस्था का पता	स्वीकृत क्षमता	पंजीयन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	दन्तेवाड़ा	अर्पण कल्याण समिति पता-माँ शारदा ट्रेवल्स के पास, न्यु बस स्टैण्ड पण्डरी, रायपुर (छ.ग.)	बालगृह (बालक)	हाईस्कूल रोड़ जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	50	07/DNTWD/24-25

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 11-03/2023/मबावि/50.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50, दिनांक 19-02-2024 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्न संस्था में आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं

संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 31 मार्च 2025 तक के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :—

क्र.	शासकीय संस्था/ स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	जिला	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	मदरसा अशरफिया कमेटी पता-कसारीडीह, वार्ड नं. 36, कसारीडीह, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	बालगृह (बालक), अशरफिया ग्रुप, नेकी की दीवार के सामने, कसारीडीह, सिविल लाईन्स, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	दुर्ग	बालगृह (बालक)	50	—	07/DURG/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 11-03/2023/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 31 मार्च 2025 तक के लिए पंजीकृत करता है :—

क्र.	जिला	स्वैच्छिक संगठन/संस्था का नाम एवं पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	बाल देखरेख संस्था का पता	स्वीकृत क्षमता	पंजीयन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मुंगेली	महाकौशल विकास समिति पता-अलखनंदा टावर के पास, गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	बालगृह (बालक)	रामगढ़, मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)	50	07/MUNGELI/ 24-25

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 दिसम्बर 2024

क्रमांक 2637/एफ 26/01/2022/13/2.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति (प्रथम संशोधन), 2023 जारी की गई है.

संशोधन

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त नीति में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति (द्वितीय संशोधन), 2024 जारी करती है :—

2. छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति (प्रथम संशोधन), 2023 की कंडिका-4.2(1) का लोप किया जाए.

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कोशले, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/17881/भू-अर्जन/2024.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जटांगपुर	4.652 हे.	जटांगपुर एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-01-2025 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन जटांगपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जटांगपुर एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 317.53 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 25 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उद्वहन सिंचाई द्वारा (स्वयं के खर्चे पर) उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 23 जुलाई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4955/भू-अर्जन/2023-24.—भू-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	झारा	2.69	1.09	झारा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण

उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2024 को समय 11.00 ग्राम पंचायत भवन, झारा पर नियत की गयी है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	झारा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	156.11 लाख (एक करोड़ छप्पन लाख ग्यारह हजार मात्र)
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	झारा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण से 80 हे. खरीफ की सिंचाई कुल 80 हे. फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. ग्राम झारा के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जायेगा. संभावित व्यय राशि रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 23 जुलाई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4960/भू-अर्जन/2023-24.—भू-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	त्रिशुली	12.57	5.09	त्रिशुली जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण

उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2024 को समय 11.00 ग्राम पंचायत भवन, त्रिशुली पर नियत की गयी है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	त्रिशुली जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	05 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	131 वृक्ष एवं 3.41 हे. शासकीय भूमि प्रभावित.
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	332.74 लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	त्रिशुली जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण से 200 हे. खरीफ की सिंचाई कुल 200 हे. फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. ग्राम त्रिशुली के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जायेगा. संभावित व्यय राशि रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/7986/भू-अर्जन/2023-24.—भू-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	सिलाजू	3.31	1.34	सिलाजू जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण

उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-10-2024 को समय -प्रात: 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन, सिलाजू में नियत की गयी है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिलाजू जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07 खातेदार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	वृक्ष 27 नग
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक. शासकीय भूमि प्रभावित.
(छ:)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	148.66 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख छयासठ हजार मात्र)
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिलाजू जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण से 75 हे. खरीफ एवं 20 हे. रवी कुल 90 हे. फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. ग्राम सिलाजू के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जायेगा. संभावित व्यय राशि रु. 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रिमिजियुस एक्का, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2020-21/3219.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	सचराटोला प.ह.नं.-05	4.001	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	राजाडीह जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

क्रमांक 04/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बेलगहना	औरापानी प.ह.नं.-14	0.421	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड.	औरापानी जलाशय योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

क्रमांक/202205141400008/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गूकोन्दल	कोण्डरूंज प.ह.नं.-21	0.29	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण कांकेर.	मिचगांव - कोड़ेकुर्से मार्ग के कि.मी. 16/2 कोटरी नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बेलगहना
- (ग) नगर/ग्राम-केन्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442	0.340
274/1	0.093
274/2	0.097

(1)	(2)
273	0.156
346/6	0.040
346/10	0.040
272/2	0.372
284/1	0.146
284/24	0.085
284/23	0.036
284/18	0.096
284/12	0.266
284/11	0.073
56/2	0.096
54/2	0.125
52	0.252
51/4	0.045
66/1	0.053
318/5	0.090
323/9	0.190
323/6	0.049
323/1	0.061
323/3	0.117
323/2	0.120
338/3	0.113
338/1	0.068
337/2	0.024
336/9	0.032
योग 28	3.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केन्दा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बेलगहना
- (ग) नगर/ग्राम-केन्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.703 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
131/18	0.132
131/2क	0.154
131/5	0.164
131/1 L	0.181
131/8	0.072
योग 5	0.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केन्दा व्यपवर्तन योजना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110221800012.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-अमलीपदर

(ग) नगर/ग्राम-डुमाघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.37 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	385	0.121
	82	0.141
	404	0.322
	405	0.008
	408	0.141
	422	0.081
	424	0.174
	375	0.093
	107	0.057
	369	0.322
	368	0.045
	367	0.065
	433	0.121
	437	0.008
	438	0.129
	439	0.109
	449	0.041
	450	0.109
	440	0.097
	452	0.097
	453	0.089
योग	21	2.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110221800045.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-अमलीपदर

(ग) नगर/ग्राम-फरसरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.288 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44	0.322
39	0.129
53	0.041
55/2	0.070
56/2	0.100
74/2	0.202
73	0.133
124/2	0.130
129	0.141
352	0.089
353	0.206
354	0.041
370	0.049
18/1	0.041
18/2	0.053
43	0.028
42	0.206
40/1	0.041
36/1	0.242
35	0.129
31/4	0.122
203	0.089
145	0.370
144	0.193

(1)	(2)
201	0.089
330	0.032
योग 26	3.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110221800046.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-अमलीपदर
- (ग) नगर/ग्राम-सागड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
176	0.032
178	0.065
179/1	0.097
187/1	0.165
132/4	0.300
132/3	0.042
127	0.073
129/1	0.206
97	0.109
98	0.065
96	0.169
94	0.020
307	0.615
309	0.421
323	0.032
316	0.053
313	0.012
319	0.377
229/2	0.080
229/3	0.010
231/2	0.100
231/1	0.060
योग 22	3.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202112221800005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-अमलीपदर
- (ग) नगर/ग्राम-फरसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
353	0.08
योग 01	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202112221800006.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-अमलीपदर
- (ग) नगर/ग्राम-डुमाघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	419	0.140
	417	0.130
	414	0.090
	412	0.220
योग	04	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202112221800007.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-अमलीपदर
- (ग) नगर/ग्राम-आंवराभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4	0.13
योग	01	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 11 दिसम्बर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202112221800008.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-अमलीपदर

(ग) नगर/ग्राम-सागड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.070
14/2	0.150
14/3	0.110
309	0.010
71	0.080
303/1	0.320
303/4	0.300
303/3	0.080
297/2	0.090
325	0.400
326	0.160
337	0.150
501	0.070
302	0.030
योग 14	2.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रताखण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
"सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2024

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./टीएल/2024-25/5407.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6172 दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री बालसिंह बघेल, उप संचालक कृषि जिला-नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर के भारसाधक अधिकारी श्री बालसिंह बघेल, उप संचालक कृषि का 30 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गये हैं.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री बालसिंह बघेल, उप संचालक कृषि, नारायणपुर जिला-नारायणपुर सेवानिवृत्त होने के कारण श्री बालसिंह बघेल, उप संचालक कृषि के स्थान पर श्री लोकनाथ भोयर (सहायक संचालक कृषि) प्रभारी उप संचालक कृषि नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला-नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक 366/स्थापना/रा.मं./2024.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 257/स्थापना/रा.मं./2022, बिलासपुर दिनांक 28-09-2022 को अतिक्रमित करते हुए प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग. के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निर्वतन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :—

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-7 के अंतर्गत अंतर्निहीत शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण —

क्रमांक (1)	अध्यक्ष/सदस्य (2)	क्षेत्राधिकार (3)
1.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	**बिलासपुर संभाग—** जिला-बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती **रायपुर संभाग—** जिला-रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद **बस्तर संभाग—** जिला-कांकेर
2.	सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	**सरगुजा संभाग—** जिला- सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर **दुर्ग संभाग—** जिला- दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी **बस्तर संभाग—** जिला-बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा समय-समय पर अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा सौंपे गए अन्य प्रकरण.

(स) आबकारी अधिनियम एवं स्टाम्प शुल्क अधिनियम से संबंधित लंबित एवं नए प्रकरणों की सुनवाई अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के द्वारा की जाएगी.

(द) स्थगन आवेदन पत्र— अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी.

क्रमांक (1)	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य (2)	सुनवाई हेतु न्यायालय (3)
1.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग.
2.	सदस्य, राजस्व मण्डल छ.ग.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.

(इ) न्यायहित में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा. स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. द्वारा सम्पूर्ण छ.ग. कार्यक्षेत्र में उपरोक्त व्यवस्था में किसी बात के होते हुए भी न्यायहित में किसी भी प्रकरण में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से सुनवाई की जा सकती है.

(उ) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	अध्यक्ष/सदस्य (2)	सुनवाई हेतु स्थान (3)
1.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर सामान्यत: प्रथम एवं तृतीय बुधवार, गुरूवार. 2. सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यत: द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार, मंगलवार, बुधवार.
2.	सदस्य, राजस्व मण्डल, छ.ग.	1. सर्किट कोर्ट, रायपुर, सामान्यत: द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार, मंगलवार, बुधवार. 2. राजस्व मण्डल, प्रमुख पीठ, बिलासपुर, सामान्यत: प्रथम एवं तृतीय बुधवार, गुरूवार. 3. सर्किट कोर्ट, जगदलपुर (बस्तर) प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के गुरूवार, शुक्रवार.

(ऊ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

(ए) उपरोक्त न्यायालयीन दिवसों संबंधी व्यवस्था में किसी बात के होने के बावजूद भी न्यायहित में यदि आवश्यक हो तो शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों में प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

अभिषेक दीवान,
अवर सचिव.

छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर

क्रमांक/1988/पापुनि/स्थापना/02-32/2024 रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2024

CERTIFICATE TRANSFER OF CHARGE

Certified that I have in forenoon/afternoon of this day respectively handedover/received charge of office of the Managing Director of C.G. TEXT BOOK CORPORATION, RAIPUR vide Govt. of Chhattisgarh, GAD order No. E 1-03/2024/एक-2 : Nawa Raipur Date 14/11/2024.

Relieved Officer : Mr. Rajendra Kumar Katara (IAS)

Relieving Officer : Mr. Sanjeev Kumar Jha (IAS)

संजीव कुमार झा,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

क्रमांक 451/दो-2-18/2022.—श्री श्रीनारायण सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) दिनांक 30-09-2024 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 295 (दो सौ पंचानवे) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 324/PS LAW/89/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 एवं संशोधन आदेश क्रमांक 1748/2335/XXI-B/C.G./24 दिनांक 25-07-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 25th October 2024

No. 17431/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 283 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Saurabh Bara, J.M.F.C., Raigarh	Raigarh	Raigarh
2.	Smt. Kamya Iyer, J.M.F.C., Gharghora	Gharghora	

बिलासपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

क्रमांक 17434/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव अपने कार्य स्थल कोण्डागांव के अतिरिक्त नवीन स्थापित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नारायणपुर, सिविल जिला कोण्डागांव में भी माह के प्रथम सप्ताह में दिनांक 04-11-2024 से आगामी आदेश तक बैठक करेंगे.

No. 17434/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Shri Vikram Pratap Chandra, District & Additional Sessions Judge, Kondagaon in addition to his place of sitting at Kondagaon shall hold Link Court in the newly established Court of District & Additional Sessions Judge at Narayanpur, Civil District-Kondagaon during the first week of every month w.e.f. 04-11-2024 until further orders.

By order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.